

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 मार्च 2024—फाल्गुन 23, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2024

क्र. CT-4-0002-2022-Sec-1-05 (CT) (10).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक CT-4-0002-2022-Sec-1-पाँच (CT) (59) भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक एवं शब्द "30 अप्रैल, 2024" के स्थान पर अंक एवं शब्द "31 अगस्त, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2024

क्र. CT-4-0002-2022-Sec-1-05 (CT) .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-4-0002-2022-Sec-1-05 (CT) (10), दिनांक 13 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 13th March 2024

No. CT-4-0002-2022-Sec-1-05 (CT) (10).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby makes the following amendment in this department's Notification No. CT-4-0002-2022-Sec-1-V(CT) (59), dated 29th December, 2023, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for the figure and word "30th April, 2024", the figure and word "31st August, 2024" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.